वर्ष–2026

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 मैनुअल–3

रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड
में
निर्णय करने की प्रकिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित) –

(The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

- ❖ किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रकिया अपनायी जाती है ?
  - विभागीय मैनुअल एवं शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रकिया के आधार पर लोक प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक निर्णय लिये जाते है।
- ❖ किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रकिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस किस स्तरों पर विचार किया जाता है।
  - विभागीय मैनुअल एवं शासन द्वारा समय – समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर सभी आवश्यक निर्णय लिये जाते है।
- ❖ लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने के लिये क्या व्यवस्था है ?
  - विकास खण्ड स्तरों पर स्थापित विभागीय उत्पादन इकाईयों / रेशमकेन्द्रों के माध्यम से संबंधित कृषकों को आवश्यक सूचना / निर्णय त्वरित उपलब्ध करा दिया जाता है।
- ❖ विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?
  - जनपद स्तर पर सहायक निदेशक अथवा उपनिदेशक (रेशम) जो जनपद/क्षेत्र के आहरण वितरण के साथ प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य देख रहे हों, की संस्तुति निर्णय लेने हेतु प्राप्त की जाती है।
- ❖ अंतिम निर्णय लेने की प्राधिकारित अधिकारी
  - किसी भी विषय पर अन्तिम निर्णय विभागाध्यक्ष / निदेशक (रेशम) द्वारा लिया जाता है।

विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	विभिन्न तकनीकी कियाकलापों जैसे रेशम कीटाण्डों की मॉग, शहतूत पौधालयों की संख्या, क्षमता , स्थिति , पौध उत्पादन आपूर्ति, संख्या, विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित होने वाली कृषकों की संख्या तथा अन्य विभागीय भौतिक लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण
दिशा निर्देश	प्रत्येक भौतिक कार्यक्रम हेतु विभागीय मानक निर्धारित है तथा तद्नुसार दिशा निर्देश भी समस्त रेशम केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये है।
निर्णय लेने की प्रकिया	कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु केन्द्र , क्षेत्र तथा जनपद स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती है जिनमें सम्यक चर्चा के उपरान्त प्रत्येक केन्द्र हेतु कार्यक्रमों के लक्ष्य तथा समस्त संबंधित विषयों पर निर्णय लिये जाते है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पद नाम	किसी भी विषय पर निर्णय लेने हेतु निरीक्षक, सहायक निदेशक, उप निदेशक तथा निदेशक (रेशम) आदि अधिकारी शामिल है।

निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	पदनाम	दूरभाष सं.	ई–मेल
	1) निदेशक रेशम, रेशम निदेशालय	0135–2773227	dosua2002@yahoo.com
	2) संयुक्त निदेशक रेशम, रेशम निदेशालय,	0135–2773227	dosua2002@yahoo.com
	3) सहायक निदेशक मुख्यालय रेशम निदेशालय	0135–2773227	dosua2002@yahoo.com
	4) उप निदेशक कुमायूँ मंडल	05946–261596	silkhaldwani@gmail.com
	5) उप निदेशक गढवाल मण्डल	01346–250615	silksrinagar@gmail.com
	6) सहायक निदेशक अल्मोड़ा जिला पंचायत भवन, धारानौला	05368–230414	dosalmora@gmail.com
	7) सहायक निदेशक गोपेश्वर	01372–252543	adserigopeshwar@gmail.com
	8) सहायक निदेशक ऊधमसिंह नगर	–	adseriusnagar@gmail.com
	9) सहायक निदेशक देहरादून	0135–2773227	adseriddn@gmail.com
	9) सहायक निदेशक हरिद्वार	–	silkharidwar@gmail.com
	10) सहायक निदेशक पौड़ी–कोटद्वार	–	adsilkshivpur@gmail.com
	11) सहायक निदेशक डून्डा उत्तरकाशी	–	silkuttarkashi10@gmail.com
निर्णय के विरूद्व कहॉ और कैसे अपील करें	1) निदेशक रेशम ,रेशम निदेशालय, प्रेमनगर, देहरादून।		
	2) उप निदेशक, कुमायूँ मंडल, रेशम निदेशालय, गैस गोदाम रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)		
	3) उप निदेशक, गढ़वाल मंडल, रेशम विभाग, श्रीनगर–गढ़वाल।		

बोर्डों, परिषदों, समितियों का विवरण–रेशम निदेशालय के अधीन शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन किया गया जिसके द्वारा प्रदेश में क्रियाशील पंजीकृत रेशम सहकारी समितियों द्वारा रेशम विकास सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। शीर्ष समिति के अधीन प्राथमिक रेशम सहकारी समितियां जो रेशम कीटपालकों की सदस्यायुक्त हैं की नियमित बैठक आयोजित की जाती है तथा बैठक में लिये गये निर्णयों में समिति के सदस्यों जो कि स्वयं कीटपालक हैं से समस्त ग्रामवासियों को निरन्तर अवगत कराया जाता है। इस प्रकार इन बैठकों में कीटपालकों के प्रतिनिधि के रूप में सीधी पहुंच होती है।

विपणन :–विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग द्वारा कोया बाजार का स्थान उपलब्ध कराया जाता है जहां पर पंजीकृत रेशम सहकारी समिति द्वारा रेशम ककून की खुली नीलामी के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा बोली लगाई जाती है। खुली नीलामी के अन्तर्गत कृषक और व्यापारी के मध्य विपणन की व्यवस्था है।

अनुसंधान :– अनुसंधान कार्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किया जाता है।

मूल्य निर्धारण की प्रकिया :– मूल्य का निर्धारण करते समय मानको के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का आगणन करते हुए मूल्य निर्धारित किया जाता है।

पौध :– नर्सरी से आपूर्ति की गई कटिंग्स, गुडाई, निराई, खाद आदि के व्यय भार के अनुसार (एक वर्ष से अधिक का) रू0 7.00/–प्रति पौध निर्धारित किया गया है।

ककून :– किसानों के हित का ध्यान रखते हुए खुली नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत किसान को नुकसान न हो इसलिए क्रय प्रणाली के अन्तर्गत कोया उत्पादन लागत मूल्य निकाला जाता है।